बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक– 02/रेगु०–02–7002/2020– 528 स्वी॰/ce /पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103–आर्थिक सहायता, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45-2852082010103 अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपबंधित राशि मो० 30,00,00,000.00 (तीस करोड़) रूपये के अन्तर्गत मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि० (डिस्टीलरी डिवीजन), हरिनगर, प० चम्पारण द्वारा अपने चीनी मिल में स्थापित इथेनॉल प्लान्ट (डिस्टीलरी) के क्षमता विस्तार पर क्रय किये गये अतिरिक्त छोआ पर लगे राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति हेतु मो० 2,90,51,857.00 (दो करोड़ नब्बे लाख इकावन हजार आठ सौ सनतावन) रूपये मात्र निकासी, व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–593 दिनांक–04.03.2014 के द्वारा प्रोत्साहन पैकेज–2014 निर्गत है, जो निर्गमन की तिथि से प्रभावी है। विभागीय संकल्प संख्या–1981 को दिनांक–26.12.2019 से संशोधित किया गया है। प्रोत्साहन पैकेज के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्र संख्या–2532 दिनांक–31.10.2014 के के माध्यम से मार्गदर्शिका निर्गत है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण समृद्धि एवं विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन सुनिश्चित करने हेतु राज्य में चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना, कार्यरत चीनी मिलों एवं आसवनियों के क्षमता विस्तार का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि० (डिस्टीलरी डिवीजन), हरिनगर, प० चम्पारण द्वारा अपने चीनी मिल में स्थापित इथनॉल प्लान्ट (डिस्टीलरी) के क्षमता विस्तार पर क्रय किये गये अतिरिक्त छोआ पर लगे वस्तु एवं सेवा कर (GST) की प्रतिपूर्ति हेतु मो० 6,89,96,131.61 (छः करोड़ नवासी लाख छियानवे हजार एक सौ इकतीस एवं इकसठ पैसे) रूपये मात्र की अधियाचना प्राप्त हुई है। हरिनगर चीनी मिल (डिस्टीलरी डिवीजन) द्वारा खरीद की गयी छोआ की मात्रा को प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी, हरिनगर डिस्टीलरी एवं भुगतान किये गये GST का अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर, बेतिया रेन्ज तथा गोपालगंज रेन्ज द्वारा सत्यापित किया गया था।

2. प्राप्त अधियाचना के आलोक में दावों की जाँच हेतु एक जाँच समिति का गठन किया गया। जाँच समिति द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–19.06.2024 के माध्यम से प्राप्त अधियाचना मो० 6,89,96,131.61 (छः करोड़ नवासी लाख छियानवे हजार एक सौ इकतीस एवं इकसठ पैसे) रूपये के विरूद्ध मो० 5,81,03,714.00 (पाँच करोड़ इक्कासी लाख तीन हजार सात सौ चौदह) रूपये मात्र भुगतान करने की अनुशंसा की गयी।

3. प्रोत्साहन पैकेज की कंडिका–4 में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में दावों की समीक्षा ईखायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक–12.07.2024 को एक बैठक आहूत की गयी थी। समिति द्वारा जाँच दल की अनुशंसा के आधार पर तथा विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स (डिस्टीलरी डिवीजन), हरिनगर, प० चम्पारण को क्षमता विस्तार के पश्चात दिनांक–01.12.2022 से 30.11.2023 तक की अवधि में अतिरिक्त छोआ क्रय पर भुगतान की गयी GST की राशि मो० 5,81,03,714.00 (पाँच करोड़ इक्कासी लाख तीन हजार सात सौ चौदह) रूपये की प्रतिपूर्ति पर अनुशंसा की गयी थी।

4. वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना एवं गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के मत आंशिक भिन्नता रहने के कारण विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अधीन चीनी मिल को छोआ पर जीएसटी (GST) के एसजीएसटी (SGST) अंश की प्रतिपूर्ति अनुमान्य की जा सकती है अथवा सीजीएसटी (CGST) एवं एसजीएसटी (SGST) दोनों की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, के संबंध में वित्त विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया।

कृ०पृ०उ०

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–1981, दिनांक–26.12.201 के अधीन चीनी मिल को छोआ पर केवल एसजीएसटी (SGST) अंश की प्रतिपूर्ति अनुमान्य होने का परामर्श दिया गया। वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में हरिनगर चीनी मिल (डिस्टीलरी डिवीजन) द्वारा खरीद की गयी छोआ की मात्रा पर भुगतान किये गये एसजीएसटी (SGST) अंश का सत्यापन कराया गया। राज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), गोपालगंज अंचल, गोपालगंज तथा राज्य–कर उपायुक्त (प्रभारी), बगहा अंचल, बगहा द्वारा इसे सत्यापित किया गया।

6. वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त परामर्श के आलोक में तथा विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत् मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स (डिस्टीलरी डिवीजन), हरिनगर, प० चम्पारण को क्षमता विस्तार के पश्चात दिनांक–01.12.2022 से 30.11.2023 तक की अवधि में अतिरिक्त क्रय की गयी छोआ पर भुगतान की गयी एसजीएसटी (SGST) की राशि मो० 2,90,51,857.00 (दो करोड़ नब्बे लाख इकावन हजार आठ सौ सनतावन) रूपये के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

7. उक्त राशि मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष–राज्य योजना, लघुशीर्ष–201–चीनी, उपशीर्ष–0103, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी, विपत्र कोड–45-2852082010103 अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में सामान्य श्रेणी अन्तर्गत उपबंधित राशि मो० 30,00,00,000.00 (तीस करोड़) रूपये में से विकलनीय है।

8. उक्त राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा **मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०** (डिस्टीलरी डिवीजन), हरिनगर, प० चम्पारण को उनके बैंक खाते **SBI, Harinagar Branch, IFS Code-SBIN0002942, Cash Credit A/c No. 40082267109** में Electronic transfer/CFMS के माध्यम से सीधे अन्तरण द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–02/रेगु०–02–7002/2020 पर प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि०) 2 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7002/2020– 528 स्वी०/cc /पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7002/2020– 528 स्वी०/cc /पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

ईखायुक्त, बिहार।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7002/2020–528 ई०/ce /पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक– 02/रेगु०–02–7002/2020–528 ई०/ce /पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि–आई॰ टी॰ प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।